



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 1 दिसम्बर 2021

अग्रहायण 10, 1943 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,

ASHOKA ROAD,

NEW DELHI-110001

1<sup>st</sup> December, 2021

Dated: \_\_\_\_\_.

10 Agrahayana, 1943 (Saka),

### NOTIFICATION

**No. 429/UP/2021 :-** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13B of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes further amendments in its Notification No. 429/UP/2021, dated 15<sup>th</sup> July, 2021, relating to appointments of Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh, namely :-

In column 2 of the table appended to the said notification, the existing entry against item No. 284-Matera, "Settlement Officer, Consolidation, Baharaich" shall be *substituted* with the entry "Sub Divisional Officer (Judicial), Sadar Baharaich".

By order,  
ASHWANI KUMAR MOHAL,  
Secretary.

By order,  
AJAY KUMAR SHUKLA,  
Secretary, Election.

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001

1 दिसम्बर, 2021

दिनांक: \_\_\_\_\_

10 अग्रहायण, 1943 (शक)

**अधिसूचना**

**सं० 429/उ०प्र०/2021:-** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित, अपनी अधिसूचना सं० 429/उ०प्र०/2021 दिनांक 15 जुलाई, 2021 में आगे संशोधन करता है, नामतः-

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, मद संख्या 284-मटेरा के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बहराइच" के स्थान पर प्रविष्टि "उप जिलाधिकारी (न्यायिक), सदर बहराइच" प्रतिस्थापित की जाएगी।

आदेश से,  
अश्वनी कुमार मोहल,  
सचिव।

आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव, निर्वाचन।